

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

82/2024/225

पेट्ट/955

20/11/2024 10/15

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
जारी हुए

तारीख

20/1/82

हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर

पेट्ट/955-2-26

पेशी

श्री 00 धारा 4/41/16/21/90 श्री

रिजिस्ट्रेशन-1 5/2/2024-4

4/2/26

महेन्द्र बनाम बरदा वगैरह (2024/82)

पत्रावली पेश की गई। अभिभाषक उभयपक्ष उपस्थित। अपीलांट की ओर से श्री मानसिंह रावत एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया, शामिल मिसल हो। अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट श्री महेन्द्रसिंह चौहान ने माननीय राजस्व मण्डल में निर्णित मुंतकिल प्रार्थना पत्र एलआर/9638/2025/अजमेर दिनांक 29.01.2026 की प्रमाणित प्रति पेश की, उक्त मुंतकिली प्रार्थना पत्र को माननीय मण्डल द्वारा खारिज किया जा चुका है, प्रमाणित प्रति शामिल मिसल हो। अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट श्री महेन्द्रसिंह चौहान एडवोकेट एवं शांतिप्रकाश औझा ने प्रार्थना पत्र बाबत आज ही सुनवाई की जाकर सारहीन होने से निरस्त फरमाने अपील बाबत दिनांक 17.12.2025 पेश किया जिस पर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अभिभाषक उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पर मनन किया एवं प्रार्थना पत्र तथा अपील का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन हमने पाया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद अदम हाजरी-अदम पैरवी में खारिज किया जा चुका है तथा उक्त अपील प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश की गई है, जो कि मूल वाद खारिज किये जाने से स्वतः ही सारहीन हो चुकी है। अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर